

Sixteenth Loksabha

>

Title: Introduction of the Constitution (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of article 51A).

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

श्री निशिकान्त दुबे : सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

15 39 hrs